

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष नं.:0141-2711978, 2711938

क्रमांक: प. 135/नि.अ.मा.वि./छात्रा. संचा./2020-21/ 8011

जयपुर, दिनांक 12/11/2020

आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अल्पसंख्यक छात्र व छात्राओं के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं/स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से अनुदानित छात्रावासों के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की संबंधित गठित जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन समिति के द्वारा उपयुक्तता की जाँच कराये जाने एवं उनके द्वारा की गई अभिराषा के आधार पर निम्नवत् जिला मुख्यालयों/अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में उनके सम्मुख अंकित स्वयंसेवी संस्थाओं/स्वैच्छिक अभिकरणों को अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास संचालन की सत्र 2020-21 की अवधि हेतु अस्थाई स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	जिला मुख्यालय/अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक का नाम	स्वयंसेवी संस्था का नाम	छात्रावास संचालन का स्थान	छात्रावास का प्रकार एवं छात्रावास की स्वीकृत क्षमता (बैडेड)	विशेष विवरण
1	अजमेर (जिला)	एल.बी. एस. शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पुलिस लाइन टॉक, 9772579337	ए- 98, आनासागर रोड, लिबर्टी शोरूम के पास, शांति पुरा, वैशाली नगर, अजमेर	बालक/50 बैडेड	किरायानामा उपलब्ध कराये जाने की शर्त पर स्वीकृति जारी की जाती है।
2	अलवर (जिला)	Center for Development Communication and studies 133, Devi Nagar, Nannu Marg, New Sanganer Road, Sodala, Jaipur 01412295533	बख्ताल की चौकी, दिल्ली रोड, अलवर	बालक/50 बैडेड	-
3	अलवर (जिला)	मेयात शिक्षा एवं अल्पसंख्यक समिति, नगर, पो. नगर, जिला भरतपुर 9694723743	सूर्यनगर दिवाकरी, दिल्ली रोड, अलवर	बालिका/50 बैडेड	राजकीय छात्रावास संचालित होने तक स्वीकृति जारी की जाती है।
4	किशनगढ़ बास, (अलवर)	यंग वेल फेयर सोसायटी, नूर नगर, मौ0 स्वामी बाड़ा, तिजारा, अलवर 9887985621	रैणी मौहल्ला, किशनगढ़बास	बालिका/35 बैडेड	राजकीय छात्रावास संचालित होने तक स्वीकृति जारी की जाती है।

Handwritten signature

5	लक्ष्मणगढ़ (अलवर)	मेवात शिक्षा एवं अल्पसंख्यक समिति, नगर, पो. नगर, जिला भरतपुर 9694723743	अनाज मण्डी के सामने, पीएनबी बैंक के पीछे, जालूकी रोड, लक्ष्मणगढ़	बालक / 50 बैडेड	-
6	लक्ष्मणगढ़ (अलवर)	मेवात बाल विकास शिक्षा समिति, नगर, भरतपुर 9928459530	मुंशी मोहल्ला, लक्ष्मणगढ़	बालिका / 40 बैडेड	-
7	बारां (जिला)	गुरु कृपा बाल विद्या मन्दिर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, वार्ड न. 3 कोटा रोड, बारां 9887062002	प्रिया हॉस्पिटल के सामने, कॉलेज रोड, बारां	बालक / 50 बैडेड	-
8	बारां (जिला)	नोबल्स अंसार एजुकेशन सोसायटी तालाब पाड़ा, बारां, 9460941499	श्रमिक कालोनी तालाब पाड़ा, बारां	बालिका / 32 बैडेड	-
9	बाड़मेर (जिला)	सिन्धी मुस्लिम हॉस्टल सोसायटी, बाड़मेर 9982523355	सिन्धी मुस्लिम हॉस्टल, बाड़मेर, जिला मुख्यालय	बालक / 40 बैडेड	-
10	रामसर (बाड़मेर)	रेगिस्तान शिक्षण-संस्थान पांधी का पार, पं.स. रामसर बाड़मेर	रेगिस्तान शिक्षण संस्थान पांधी का पार, पं.स. रामसर बाड़मेर	बालक / 48 बैडेड	-
11	रामसर (बाड़मेर)	दारुल उलूम फैंजे गौसिया संस्थान, खारची, तह. रामसर, जिला- बाड़मेर 9571591387	वी.पी. खारची तह. रामसर, जिला बाड़मेर (राज.)	बालिका / 20 बैडेड	-
12	भरतपुर (जिला)	मेवात बाल विकास शिक्षा समिति नगर, भरतपुर 9928459530	सतीश भारद्वाज का मकान, बी. एन. गेट धीमर मोहल्ला, भरतपुर	बालक / 49 बैडेड	-
13	कामां (भरतपुर)	मेवात शिक्षा एवं अल्पसंख्यक समिति, नगर, 9694723743, 9261081381	श्री गोविन्द राम शर्मा का मकान, पवन कुंज कॉलोनी, कामां, भरतपुर	बालक / 50 बैडेड	-
14	पहाड़ी (भरतपुर)	एस.आर. विद्या मंदिर, समिति पहाड़ी	जैन मंदिर के पास, कस्बा पहाड़ी, भरतपुर	बालक / 50 बैडेड	-
15	पहाड़ी (भरतपुर)	इकरा मानव सेवा संस्थान कैथवाडा, पहाड़ी, 9829290977	पटुआ मोहल्ला पहाड़ी, जिला- भरतपुर	बालिका / 50 बैडेड	-
16	नगर, (भरतपुर)	चौधरी एजुकेशन सोसायटी, नगला, भरऊ, महावन, मथुरा, 9828223482	जलधारा w/o रूपसिंह का मकान, Axis Bank के ऊपर, नगर, जिला- भरतपुर	बालक / 50 बैडेड	-
17	नगर, भरतपुर	माधव आदर्श विद्या मंदिर समिति, कुरकैन, 9829007815	रामअवतार मित्तल जी मकान, नदबई रोड, नगर जिला- भरतपुर	बालिका / 50 बैडेड	-
18	भीलवाडा (जिला)	प्रयास सेवा संस्थान, 4/53 न्यू हाऊसिंग बोर्ड, बस स्टैण्ड के पास, टोक 9414791227	सेक्टर-10, एजुकेशनल एरिया प्लॉट न. 1-2 कोटा बाई पास भीलवाडा	बालिका / 32 बैडेड	-
19	खाजुवाला (बीकानेर)	जगदम्बा विकास एवं शैक्षणिक संस्थान खाजुवाला, बीकानेर 9413278168	जगदम्बा पी.जी. कॉलेज के पास खाजुवाला, बीकानेर	बालक / 25 बैडेड	-
20	छत्तरगढ़ (बीकानेर)	मदरसा असरफिया समिति, वार्ड न. 08 छत्तरगढ़, बीकानेर	वार्ड न. 08, छत्तरगढ़, बीकानेर	बालक / 24 बैडेड	-
21	चुरू (जिला)	डॉ. जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान, डीटीओ ऑफिस के पास, जयपुर रोड, चुरू, 8005518546	डॉ. जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान, डीटीओ ऑफिस के पास, जयपुर रोड, चुरू	बालक / 50 बैडेड	-

lnk

22	चुरु (जिला)	कायमखानी तालिमो तरक्कीयात संस्थान, मु.पो. नूआं, झुंझुनूं	कायमखानी छात्रावास, हनुमानगढ़ी रोड चुरु जिला, चुरु	बालिका / 35 बैडेड	शौचालय एवं स्नानघर की पूर्णता की शर्त पर।
23	दौसा (जिला)	नव युवक ग्रामीण विकास सेवा समिति, बहली, राजगढ़, अलवर 9413713740	वृन्दावन वाटिका, गेटोलाव रोड़, दौसा	बालक / 42 बैडेड	-
24	दौसा (जिला)	नव युवक ग्रामीण विकास सेवा समिति, बहली, राजगढ़, अलवर 9413713740	गुप्तेश्वर रोड़, रामपुरी कॉलोनी, दौसा	बालिका / 50 बैडेड	-
25	धौलपुर (जिला)	आइडियल सौशल सोसाइटी, नरसिंग बाग, तवेला, धौलपुर 8209885629	नरसिंग बाग, धौलपुर	बालक / 25	-
26	धौलपुर (जिला)	आइडियल सौशल सोसाइटी, नरसिंग बाग, तवेला, धौलपुर 8209885629	छोटी सब्जी मण्डी के पास, धौलपुर	बालिका / 25	-
27	हनुमानगढ़ (जिला)	गुरु गोविन्द सिंह पब्लिक सी. सै. स्कूल, हनुमानगढ़, 9414950038	वार्ड न. 08, सैक्टर न. 12, हनुमानगढ़ जंक्शन, पिन- 335512	बालक / 50	-
28	जयपुर (जिला)	सहयोग सामाजिक संस्थान, 86, पदमविहार चोखी ढाणी, टोंक रोड़, जयपुर, 9314874064	म.न. 64 पदम विहार चौखी ढाणी के पीछे टोंक रोड़ जयपुर	बालक / 50	-
29	जैसलमेर (जिला)	नवयुवक मण्डल संस्थान, जैसुराणा	मदरसा कादरिया फैजे सिकन्दरिया शिक्षण संस्थान, गांव छडिया, बाडमेर रोड़, जैसलमेर	बालक / 50 बैडेड	-
30	जैसलमेर (जिला)	सम उत्थान सेवा संस्थान, सम	सीटी डिस्पेन्सरी के पास, गांधी कालोनी, जैसलमेर	बालिका / 50 बैडेड	-
31	मोहनगढ़ (जैसलमेर)	मदरसा कादरिया फैजे सिकन्दरिया शिक्षण संस्थान टिब्बा पाडा, जैसलमेर	तहसील के सामने, मुस्लिम मोहल्ला, मोहनगढ़	बालक / 42 बैडेड	-
32	नाचना (जैसलमेर)	मदरसा कादरिया फैजे सिकन्दरिया शि. संस्थान, जैसलमेर	अस्पताल के सामने, मुस्लिम मोहल्ला, नाचना	बालक / 42 बैडेड	-
33	पोकरण (जैसलमेर)	मदरसा गफकारी सतारु फाटा, नाचना, जैसलमेर	वार्ड न. 06 मेघवालों का बास, सिपाहियों मुसलमानों के मोहल्ला के आगे, पोकरण	बालिका / 42 बैडेड	-
34	फतेहगढ़ (जैसलमेर)	आर.के. सेवा एवं विकास संस्थान, जैसलमेर	जैसलमेर-बाडमेर रोड़, वार्ड सं. 1, फतेहगढ़	बालक / 50 बैडेड	-
35	जालौर (जिला)	रवि पुरुषोत्तम शिक्षा समिति एवं ग्रामीण विकास सोसायटी, जगन्नाथपुरा, सांगानेर, जयपुर 8952895281, 9649750073	राजेन्द्र नगर, कॉलोनी जालौर-343001	बालक / 25 बैडेड	किरायानामा की उपलब्धता की शर्त पर
36	जालौर (जिला)	एरनोल्ड एजुकेशनल एण्ड रूरल डवलपमेन्ट सोसायटी, अलवर-301406, श्यामगंगा, पी.-जमालपुरा, टी.-मालाखेडा, अलवर, 0144-2854757, 9636356209	महादेव गली, राजेन्द्र नगर कॉलोनी, जालौर, 343001	बालिका / 26 बैडेड	किरायानामा की उपलब्धता की शर्त पर

5/11

37	झालावाड (जिला)	जनकल्याण सेवा समिति सुभाष कालोनी झालावाड, 9414256316, 9887368283	जनकल्याण सेवा समिति सुभाष कालोनी झालावाड	बालक / 35 बैडेड	किरायानामा की उपलब्धता की शर्त पर
38	जोधपुर (जिला)	मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, ग्राम बुझावड, तह. लूणी, जोधपुर	मौलाना आजाद विश्वविद्यालय ग्राम बुझावड, तह. लूणी, जोधपुर	बालक / 50 बैडेड	-
39	नागौर (जिला)	आस्था सेवा संस्थान, नागौर, 7014480899	मदरसा हन्फिया सूफिया के पीछे गांधी चौक नागौर	बालक / 48 बैडेड	-
40	नागौर (जिला)	दारुल उलूम फैजाने अशरफ बासनी, नागौर, 9929444102	गांव बासनी बहलीमा, जिला नागौर	बालिका / 50 बैडेड	-
41	पाली (जिला)	मधुरम शिक्षा समिति रजा कॉलोनी, नया गाँव, पाली	मधुरम शिक्षा समिति रजा कॉलोनी नया गांव, पाली-306401	बालक / 47 बैडेड	-
42	श्रीगंगानगर (जिला)	मैनेजिंग कमेटी श्री गुरुनानक खालसा कॉलेज एवं स्कूल, गेट नं. 3, हिन्दुमलकोट रोड, तीन पुली, श्रीगंगानगर 9413288052	गेट नं. 3, हिन्दुमलकोट रोड, नजदीक तीन पुली, श्रीगंगानगर	बालक / 50 बैडेड	-
43	श्रीगंगानगर (जिला)	कैम्पस पब्लिक स्कूल समिति, 49 सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर	49 सेतिया कॉलोनी, खेतरपाल मंदिर के नजदीक, श्रीगंगानगर	बालिका / 40 बैडेड	-
44	विजयनगर (श्रीगंगानगर)	मैपल शिक्षण संस्थान, वार्ड नं. 14, मकान न0 319, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 8278639520	वार्ड न0 09, विजयनगर	बालक / 20 बैडेड	-
45	विजयनगर (श्रीगंगानगर, जिला)	मैपल शिक्षण संस्थान, वार्ड नं. 14, मकान न0 319, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 8278639520	वार्ड नं. 09 प्रवीण नागपाल का पुराना मकान, श्री विजयनगर	बालिका / 18 बैडेड	-
46	अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)	श्री गुरुनानक पब्लिक शिक्षा समिति, अनूपगढ़, 88 जी.बी. PO.90 जी.बी.अनूपगढ़ 9887425909	वार्ड न0 23, अनूपगढ़	बालिका / 13 बैडेड	-
47	घड़साना (श्रीगंगानगर)	ममता जनकल्याण समिति, अनूपगढ़, वार्ड नं. 5 9649695932	चक 03 एस.टी.आर, नई मण्डी, घड़साना	बालक / 50 बैडेड	-
48	सवाई माधोपुर (जिला)	न्यू प्रिंस ऐज्युकेशन सोसाइटी, न्यू इक यूनिशन चकचैनपुरा, दौसा रोड, सवाईमाधोपुर	चकचैनपुरा न्यू इक यूनिशन दौसा रोड, सवाई माधोपुर	बालक / 50 बैडेड	किरायानामा की उपलब्धता की शर्त पर
49	सवाई माधोपुर (जिला)	दृढ़ संकल्प संस्थान जवाहर नगर सवाईमाधोपुर 7014687275	आदर्श नगर (अ) बगीचा कॉलोनी वार्ड न0 03, सवाई माधोपुर	बालिका / 34 बैडेड	किरायानामा की उपलब्धता की शर्त पर
50	सिरोही (जिला)	दूर दृष्टि 365 बैंक कॉलोनी v देवली नई दिल्ली 9871977588	लक्ष्मण सिंह चम्पावत, प्लाट नं. 67 अम्बिका कॉलोनी, सेंटपाल स्कूल के पास, सिरोही	बालक / 40 बैडेड	किरायानामा की उपलब्धता की शर्त पर

5/11

51	सिरौही (जिला)	एरनोल्ड एजुकेशनल एण्ड रूरल डवलपमेन्ट सोसायटी श्यामगंगा अलवर 301406	मुकेश कुमार शम्भूदानंद कालोनी, भाटकडा कोट के पीछे, भाटकडा, सिरौही	बालिका / 45 बैडेड	किरायानामा की उपलब्धता की शर्त पर
52	टोंक (जिला)	रेड रोज एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, शोर्ट सिविल लाईन रोड, पांच बत्ती, बावड़ी, टोंक 9214072422	धन्न तलाई, काली पलटन, टोंक	बालक / 50 बैडेड	किरायानामा की उपलब्धता की शर्त पर
53	टोंक (जिला)	मां भारती बाल शिक्षा समिति, खोजा बावड़ी, जयपुर रोड, टोंक 9413961948	एलआईसी कार्यालय के सामने, सब्जी मण्डी, घंटाघर, टोंक	बालिका / 50 बैडेड	किरायानामा की उपलब्धता की शर्त पर


निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रावास नियमावली एवं छात्रावास योजना से संबंधित आदिनांक तक जारी दिशा-निर्देश-एवं परिपत्रों के अन्तर्गत उक्त आदेश की पालना में संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं चयनित स्वयंसेवी संस्था के द्वारा निम्नांकित कार्य भी सम्पन्न करने होंगे:-

1. चयनित स्वयंसेवी संस्था को संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में रुपये 500.00 के नॉन-ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध (MoU) निष्पादित करने की कार्यवाही राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति प्रदान करने के उपरान्त ही संपादित की जायेगी।
2. चयनित स्वयंसेवी संस्था (प्रथम पक्ष) को राज्य सरकार की स्वीकृत दरों एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रावास नियमावली के अनुसार संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (द्वितीय पक्ष) से अनुबंध करना आवश्यक होगा और अनुबंध की शर्तों की पालना करने/कराने का उत्तर दायित्व संबंधित दोनों पक्षों का होगा।
3. स्वीकृत अनुदानित छात्रावास में अल्पसंख्यक छात्रों को प्रवेश छात्रावास नियमावली/आदेश के तहत जिला प्रवेश समिति की अभिशंभा के आधार पर ही दिया जाना आवश्यक होगा। जिला प्रवेश समिति की अभिशंभा के पश्चात् अनुमोदित सूची संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा संस्था को कार्यालय प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जावे, जिसके आधार पर ही संबंधित संस्था प्रवेशार्थियों को छात्रावास में रख सकेगी।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं चयनित स्वयंसेवी संस्था द्वारा अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास का संचालन विभागीय छात्रावास नियमावली के तहत निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार निश्चित समय पर प्रारम्भ करने का सम्मिलित दायित्व होगा।
5. चयनित स्वयंसेवी संस्था को विभाग की छात्रावास नियमावली के तहत छात्रावास संचालन से संबंधित समस्त निर्धारित रिकार्ड का संधारण जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निर्देशन में करना अनिवार्य होगा।
6. अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा समय-समय पर छात्रावास से संबंधित जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों का भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निर्देशन में छात्रावास संचालक संस्था को पालना करनी आवश्यक होगी।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन भवनों में सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण नहीं है, को छात्रावास संचालन से पूर्व पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्रावास भवन के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाकर विभाग की ओर से प्रदत्त समस्त सुविधाओं को उल्लेखित करेंगे ताकि छात्र/छात्राओं व उनके परिजनो को उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी हो सके।
9. संस्था द्वारा छात्रावास संचालन से पूर्व आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
10. छात्रावास संचालन के दौरान यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से संचालक बीच सत्र में छात्रावास संचालन नहीं कर पाता है तो नियमानुसार संचालक को एक माह पूर्व विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा स्वीकृति पश्चात् ही छात्रावास बंद किया जा सकेगा अन्यथा पूरे शैक्षणिक सत्र में छात्रावास का संचालन संस्था द्वारा किया जावेगा। बीच सत्र में बिना किसी सूचना एवं स्वीकृति के संचालक छात्रावास का संचालन नहीं करता है तो धरोहर राशि जब्त कर संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

क.प.उ.

lnh

11. विभागीय अधिकारियों अथवा जिला कार्यालय के अधिकारियों द्वारा छात्रावास के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर प्रथम बार में संस्था को एक सप्ताह में सुधार हेतु नोटिस दिया जायेगा, दूसरी बार अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार मासिक देय भुगतान राशि में से 10 प्रतिशत की पेनेल्टी काटकर संख्या के अनुरूप भुगतान संस्था को किया जायेगा। तीसरी बार अनियमितता पाये जाने पर संस्था से एम.ओ.यू. रद्द कर ब्लैक लिस्टेड करते हुए धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
12. राज्य सरकार द्वारा COVID-19 प्रोटोकाल के तहत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना संबंधित संस्था द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
13. अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा छात्रावास संचालन के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक होगा।
14. छात्रावास संचालन को लेकर विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
15. सत्र 2020-21 की अवधि में अनुमोदित संस्थाओं के द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर स्वयंसेवी संस्थाओं को जारी किये गये स्वीकृति आदेश स्वतः ही निरस्त/अप्रभावी समझे जावें।


 11.11.2020
 (जमील अहमद कुरैशी)


निदेशक

जयपुर, दिनांक: 12/11/2020.

क्रमांक: प. 135/नि.अ.मा.वि./छात्रा. संचा./2020-21/ 8012-8070

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
8. उपनिदेशक प्रथम/द्वितीय/पीएमजेवीके अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
9. सहायक निदेशक प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
10. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. चयनित स्वयंसेवी संस्था/स्वैच्छिक अभिकरण _____ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सूचना सहायक को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


 11/11/20
 (नसीम खान)
 उपनिदेशक (द्वितीय)